REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2024

''नगरीय परिवारों में तलाक के कारणों का समाजशास्त्रीय अध्ययन''

अंजली गुप्ता
शोधार्थी, समाजशास्त्र, अ.प्र. सिंह वि.वि., रीवा.

संक्षेपिका : —

समाज की व्यवस्था को बनाये रखने तथा यौन आवश्यकताओं की पूर्ती को संस्थात्मक तरीके के रूप में विवाह की संस्था को सामाजिक स्वीकृत दी गई। विवाह जहां एक ओर एक नये परिवार का सृजन करता है वहीं दो व्यक्तियों और दो अलग—अलग परिवारों को एक साथ लाने की व्यवस्था भी प्रदान करता है। लेकिन जब पति—पत्नी के वैवाहिक सम्बंधों में मधुरता का अभाव होने लगता है तो विवाह—विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन विवाह—विच्छेद की यह स्थिति अचानक उत्पन्न नहीं होती। कभी—कभी पारिवारिक तनावों के बावजूद विवाहित जोड़े अपना जीवन औपचारिक रूप से संगठित बनाये रखते हैं तथा कुछ धार्मिक विश्वासों, पारिवारिक प्रतिष्ठा तथा पारिवारिक दबावों के कारण अपना जीवन ऊपरी तौर पर संगठित रखते हैं परन्तु अंदर से तनाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जब यह तनाव की स्थिति अपनी पराकाष्ठा में पहुँच जाती है तो विवाह—विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रामीण भारतीय समाज में पारिवारिक जीवन कष्टप्रद और तनावयुक्त होने के बावजूद विवाह—विच्छेद की स्थितियाँ नगण्य ही रहती हैं। वहीं दूसरी ओर नगरीय समाज में वैवाहिक जीवन की कष्टप्रद और तनावयुक्त अनुभूतियों से छुटकारा पाने के लिए विवाह—विच्छेद या तलाक जैसी वैधानिक व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जायेगा कि वे कौन से कारण है, जिनके कारण नगरों में विवाह—विच्छेद या तलाक लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और परिवार व समाज में इसके क्या—क्या दुष्परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

मूल शब्द— वैवाहिक जीवन, तनावयुक्त अनुभूतियाँ, विवाह—विच्छेद, वैवाहिक सम्बंध, पारिवारिक दबाव और वैधानिक व्यवस्था

प्रस्तावना : —

परम्परागत हिन्दू समाज में पहले विवाह एक धार्मिक कृत्य समझा जाता था, लेकिन आजकल यह धर्मनिरपेक्ष होता जा रहा है। सन् 1950 के दशक के मध्य तक हिन्दू विधान में तलाक की अनुमति नहीं थी। यद्यपि कुछ जातियों में स्थानीय रिवाजों के अनुसार कुछ धन राशि देकर विवाह—विच्छेद की अनुमति दी जाती थी। चार दशक पूर्व देश के विधि निर्माताओं ने हिन्दू समाज को अशिक्षित व कठोर स्थिति से आधुनिक विचारधारा की ओर मोड़ दिया और अब पवित्र धार्मिक संस्कार पारस्परिक सहमति से विवाह—विच्छेद में बदल गया।

सभी विवाह सफल नही होते, कुछ असमंजस व कटुता से समाप्त होते हैं। कुछ असफल विवाहों वाले व्यक्ति भाग्य को मानते हुए अपना जीवन खींचते रहते है और पूरी जिन्दगी असमंजस की स्थिति में ही व्यतीत करते हैं। परित्याग चाहे स्थाई हो या अस्थाई, अवैधानिक व अनाधिकारिक होता है। विवाह—विच्छेद वैधानिक रूप से वैवाहिक बंधनों को तोड़ना है। तलाक एक प्रकार की दुखांत घटना है। जिसमें पति—पत्नी में से कोई एक—दूसरे को छोड़ने की प्रार्थना करता है। आधुनिक नगरीय समाजों में विवाह इतने अधिक अस्थाई हो गये हैं

कि वहाँ पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण तलाक ही है। परन्तु यह भी कहा जाता है कि पारिवारिक विघटन के पश्चात् ही तलाक की समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब एक या दोनों पक्ष अपने सम्बंध तोड़ देना चाहते हैं। तलाक सामंजस्य पूर्ण एवं सुखी परिवार की समस्या नहीं है। यह प्रवृत्ति उन परिवारों में पायी जाती है जहाँ पति–पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बंधों का आभाव रहता है। इसके साथ ही बहुत से ऐसे भी विवाह हैं जो पति–पत्नी को कष्टप्रद तो हैं पर उनमें तलाक की समस्या उत्पन्न नहीं होती। अधिकतर पति ही अपनी पत्नी का परित्याग करते हैं। विवाह–विच्छेद सदैव एक दुखद स्थिति है, क्योंकि अस्वीकृत साथी अपमानित, पीड़ित व तिरस्कृत अनुभव करता है। किन्तु परित्याग के सामाजिक दुष्परिणाम अधिक दुखदायी एवं अव्यावहारिक होते हैं, विशेष रूप से स्त्री के लिए। स्त्री को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक आघातों का सामना करना पड़ता है भावनात्मक आधार पर उसे सदैव यही अनुभव होता है कि उसके पति द्वारा उसे तिरस्कृत रूप से अस्वीकार किया गया है तथा बेकार की वस्तु समझकर फेंक दिया गया है।

तलाक को व्यक्तिगत घटना नहीं समझना चाहिए। यद्यपि तलाक समस्या के व्यक्तिगत पक्ष भी हैं फिर भी बड़े पैमाने पर तलाक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि राज्य या राष्ट्र का अस्तित्व, सफल पारिवारिक जीवन की सफलता पर ही निर्भर है।

नगरीय समाज में पति–पत्नी दोनों का जीवन काफी जटिलताओं से भरा रहता है। अधिकांश परिवारों में पति–पत्नी पर्याप्त शिक्षित होते हैं और अपनी–अपनी योग्यता एवं दक्षता के अनुसार रोजगारित रहते हैं। नौकरी में जुड़े रहने के कारण उनका अधिकांश समय ऑफिस या कार्यस्थल में व्यतीत होता है। समयाभाव के कारण ऐसे पति–पत्नी पारिवारिक समस्याओं को नजर अंदाज करते रहते हैं। एक–दूसरे को पर्याप्त समय न देने के कारण दोनों के बीच में विचारों का आदान–प्रदान उचित तरीके से नहीं हो पाता या फिर सीमित और औपचारिक तरीके का होता है। एक ही घर और छत के नीचे रहने के पश्चात् भी एक–दूसरे की व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर किसी भी प्रकार का संवाद स्थापित नहीं हो पाता। धीरे–धीरे यह स्थिति उन्हें अलगाववादी बनाने लगती है।

नगरीय परिवारों में यदि पत्नी अपने पति से उच्च पद पर नौकरी करती है तो ऐसी स्थिति में अहम् का टकराव होने लगता है जो कि धीरे–धीरे विवाह–विच्छेद की स्थितियों का निर्माण करने लगता है। नगरीय समाजों के परिवारों का स्वरूप भी एकाकी होता है। ऐसे समाजों में संयुक्त परिवारों का अभाव पाया जाता है। संयुक्त परिवारों में परिवार के बुजुर्ग सदस्य नव दम्पत्तियों के बीच होने वाले मनमुटाव व झगड़ों का निपटारा करने में अहम् भूमिका का निर्वहन करते हैं जिस कारण पति–पत्नी के सम्बंधों में मधुरता बनी रहती है। वही दूसरी ओर एकाकी परिवारों में दम्पत्तियों के बीच होने वाले झगड़ों को शांत कराने वालों का अभाव होने के कारण ऐसे परिवारों में पति–पत्नी के बीच अलगाव की दर ज्यादा पायी जाती है।

नगरीय समाजों में पति–पत्नी का देर रात तक ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहना और परिवार की जिम्मेदारियों से दूर रहना तथा घर पहुँचने के बाद भी सहकर्मी स्त्री या पुरुष के साथ देर रात तक बातें करने के कारण पति–पत्नी के सम्बंधों में शक्कीपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति अक्सर पति–पत्नी के सम्बंधों में दरार का कार्य करती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जायेगा कि वे कौन से कारण है, जिनके कारण नगरीय समाज के परिवारों में विवाह–विच्छेद या तलाक लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और परिवार व समाज में इसके क्या–क्या दुष्परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

साहित्य पुनराविलोकन : –

1. **अहूजा, (1955)** ने अपनी पुस्तक ''आधुनिक भारत की सामाजिक समस्याएं'' में भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत परिवार और उससे जुड़ी समस्याएं जैसे तलाक के मूल कारणों की व्याख्या की है तथा आधुनिक जीवन शैली पारिवारिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है।
2. **कौशिक, (1977)** ने तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक स्थितियों की व्याख्या करते हुए बताया कि तलाक के बाद महिलाओं को किन–किन सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
3. **देवसिया एवं देवसिया, (1998)** ने अपनी पुस्तक ''वुमेन सोशल जस्टिस एण्ड ह्यूमन राइट्स'' में महिलाओं के सामाजिक अधिकारों एवं न्याय की व्याख्या की है। भारत में सामाजिक न्याय महिला

अधिकारों का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। इसके अभाव में मानव अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है।

4. **महापात्रा, (2001)** ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि आधुनिक परिवारों में अधिकांश विवाह–विच्छेद पति–पत्नी के अहम् स्वभाव के कारण होते हैं।
5. **मेहता, (2004)** ने अपनी पुस्तक ''महिला और कानून'' में यह वर्णन किया है कि समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है इसी भावना के चलते पुरुष और स्त्री के बीच आपसी मतभेद उभरने लगते है।
6. **कुमार, (2006)** ने अपनी पुस्तक ''आधुनिक महिलाएं एवं समाज : उत्पीड़न, अत्याचार एवं अधिकार'' में महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति का वर्णन किया है। पुस्तक में महिलाओं से जुड़ी हुई अनेक समकालीन मुद्दों एवं अधिकारों के विषय में चर्चा की गई है।
7. **चौरे एवं तिवारी, (2020)** ''महिलाएं : स्थिति और अधिकार'' पुस्तक में नारी उत्पीड़न के अन्तर्गत तलाकशुदा महिलाओं की स्थिति और अधिकार की व्याख्या की है।
8. **संयुक्त राष्ट्र संघ वार्षिक रिपोर्ट, (2019–20)** ''प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड विमेन, 2019–20 – फैमलीज इन ए चेजिंग वर्ल्ड'' शीर्षक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महिलाओं के अविवाहित रहने के मामले कम है। 45 वर्ष से 49 वर्ष की उम्रवाली ऐसी महिलाओं की तादात एक फीसदी से भी कम है, जिन्होंने कभी शादी नहीं की। लेकिन बीते दो दशकों के दौरान तलाक के मामले दो गुने तक बढ़ गये हैं। रिपोर्ट में महानगरों में तलाक के मामले सर्वाधिक पाये गये हैं।

शोध अध्ययन का उद्देश्य : –

1. नगरीय समाजों मे तलाक के कारणों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।
2. तलाक के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों का अध्ययन करना।
3. तलाक के कारण उत्पन्न दुष्परिणामों के मनोसामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना : –

1. पति–पत्नी का अहम् तलाक की स्थिति के लिए जिम्मेदार है।
2. घरेलू हिंसा के कारण पति–पत्नी के बीच तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है।
3. पति–पत्नी का किसी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ विवाहेत्तर सम्बंध तलाक की स्थिति निर्मित करता है।
4. आपसी विश्वास और सहनशीलता का अभाव और विवाह–विच्छेद के बीच धनात्मक सह सम्बंध पाया जाता है।

अध्ययन पद्धति : –

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन पद्धति को चार प्रमुख भागों में बांटा गया है –

अ) अध्ययन क्षेत्र का सामान्य परिचय : –

शोध कार्य हेतु मध्यप्रदेश के सतना जिले के शहरी क्षेत्र का चयन किया गया है। यह जिला मध्यप्रदेश के उत्तर–पूर्व में स्थित है। सतना जिल शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विकसित क्षेत्र है। सतना नगर निगम क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2,82,977 है जिसमें पुरुषों की संख्या 1,49,415 तथा महिलाओं की संख्या 1,33,562 है। सतना शहर का लिंगानुपात 1000/893 है। सतना नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कुल साक्षरता प्रतिशत 85 प्रतिशत है, जिसमें 89.7 प्रतिशत पुरुष तथा 79.9 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।

ब) उत्तरदाताओं का चयन : –

सतना नगर निगम क्षेत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए सर्वप्रथम 4 जोनों में विभाजित किया जायेगा। अध्ययन हेतु प्रत्येक जोन से 1–1 वार्ड का चयन किया जायेगा। चयनित चारों वार्ड में कुल परिवारों की संख्या 5541 है। इसमें से 250 परिवारों का चयन दैव निदर्शन पद्धति के लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा।

अध्ययन की सुविधा के लिए एक परिवार से एक व्यक्ति (महिला अथवा पुरुष) को उत्तरदाता के रूप में शामिल किया जायेगा।

तालिका क्रमांक–1
जनसंख्या वितरण

क्र.	जोन क्रमांक	वार्ड क्रमांक	जनसंख्या	परिवारों की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या (4.5% निदर्शन)
1.	01	07	11205	1245	56
2.	02	12	11019	1214	55
3.	03	24	15317	1570	71
4.	04	32	16107	1512	68
	कुल योग	04	53648	5541	250

स) तथ्यों के संकलन हेतु प्रयुक्त उपकरण एवं प्रविधि : –

प्रस्तुत अध्ययन हेतु साक्षात्कार अनुसूची उपकरण का उपयोग एवं अवलोकन प्रविधि का उपयोग किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वार्तालाप के द्वारा भी तथ्यों का संकलन किया जायेगा।

द) प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण : –

प्राथमिक तथ्यों के संकलन के पश्चात् इनका वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण कर तथ्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

तालिका क्रमाक–2
क्या संयुक्त परिवार पति–पत्नी के विवाह–विच्छेद को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?

क्र.	संयुक्त परिवार विवाह–विच्छेद को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हाँ	210	84 प्रतिशत
2.	नहीं	40	16 प्रतिशत
	कुल	**250**	**100 प्रतिशत**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 210 (84 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते है कि संयुक्त परिवार विवाह–विच्छेद की अधिकांश घटनाओं को रोकने में कारगर भूमिका का निर्वहन करते हैं। जबकि 40 (16 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते।

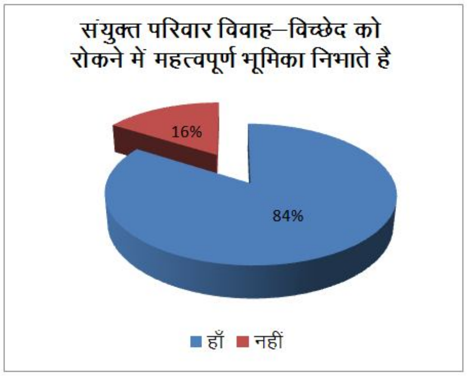

तालिका क्रमाक–3
विवाह–विच्छेद के लिये जिम्मेदार कारक

क्र.	विवाह–विच्छेद के लिये जिम्मेदार कारक	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	आपसी विश्वास की कमी	56	22.4 प्रतिशत
2.	सहनशीलता की कमी	54	21.6 प्रतिशत
3.	पति–पत्नी के अवैध सम्बंध	81	32.4 प्रतिशत
4.	समन्वय व सहयोग की कमी	59	23.6 प्रतिशत
	कुल योग	**250**	**100 प्रतिशत**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 81 (32.4 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते है कि जब पति–पत्नी के अवैध सम्बंध होते हैं तो तलाक की दर बढ़ जाती हैं। जबकि 59 (23.6 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते है कि जब पति–पत्नी के बीच समन्वय का अभाव होता है तभी तलाक की घटनाएं होती हैं । वहीं 56 (22. 4 प्रतिशत) उत्तरदाता दामपत्य रिश्ते में विश्वास की कमी तथा 54 (21.6 प्रतिशत) उत्तरदाता सहनशीलता की कमी को तलाक के लिए जिम्मेदार मानते हैं।

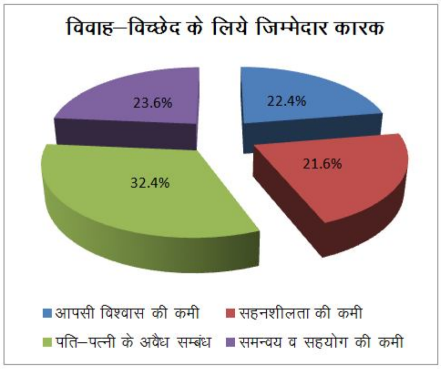

तालिका क्रमाक–4
नगरीय समाजों के एकाकी परिवारों में घरेलू हिंसा बहुतायत में पायी जाती है।

क्र.	घरेलू हिंसा बहुतायत में एकाकी परिवारों में घटित होती है।	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हाँ	208	83.2 प्रतिशत
2.	नहीं	42	16.8 प्रतिशत
	कुल	**250**	**100 प्रतिशत**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 208 (83.2 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते है कि एकाकी परिवारों में घरेलू हिंसा की घटनाएं ज्यादा होती हैं जो कि तलाक की परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, जबकि 42 (16.8 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है।

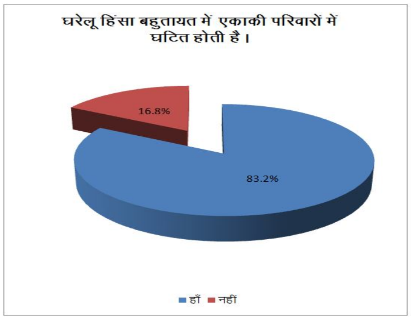

तालिका क्रमाक–5
तथ्यों को छिपाकर षड़यंत्र पूर्वक किये गये विवाह की परिणति तलाक के रूप में होती है।

क्र.	षड़यंत्रपूर्ण किये गये विवाहों की परिणति तलाक के रूप में होती है।	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हाँ	212	84.8 प्रतिशत
2.	नहीं	38	15.2 प्रतिशत
	कुल	**250**	**100 प्रतिशत**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिन माता–पिता द्वारा अपनी संतानों की शादियां तथ्यों को छिपाकर षड़यंत्रपूर्वक की जाती हैं वहाँ दामपत्य जीवन सुखमय नहीं होता और जिसकी परिणति विवाह–विच्छेद के रूप में होती है, 212 (84.8 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसा मानते हैं। जबकि 38 (15.2 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है।

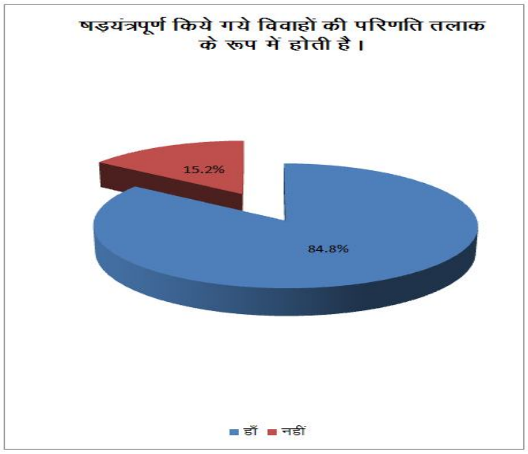

तालिका क्रमाक–6
ग्रामीण समाजों की अपेक्षा नगरीय समाजों में विवाह–विच्छेद की घटनाएं ज्यादा होती है।

क्र.	नगरीय समाजों में विवाह–विच्छेद ज्यादा होते हैं।	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हाँ	168	67.2 प्रतिशत
2.	नहीं	82	32.8 प्रतिशत
	कुल	**250**	**100 प्रतिशत**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 168 (67.2 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि ग्रामीण समाजों की अपेक्षा नगरीय समाजों में विवाह–विच्छेद की घटनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रामीण समाजों में वैवाहिक रिश्ते के प्रति पति–पत्नी के स्वभाव में समर्पण ज्यादा पाया जाता है। वहीं 82 (32.8 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते, इन उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण समाजों में भी त लाक की घटनाएं होती है, तलाक की घटनाओं को नगरीय या ग्रामीण सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार में नहीं बांटा जा सकता।

तालिका क्रमाक–7
अशिक्षित और पारम्परिक परिवारों की अपेक्षा शिक्षित और आधुनिक परिवारों में तलाक की परिस्थितियाँ ज्यादा निर्मित होती हैं।

क्र.	शिक्षित और आधुनिक परिवारों में तलाक की दर उच्च है।	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हाँ	156	62.4 प्रतिशत
2.	नहीं	94	37.6 प्रतिशत
	कुल	**250**	**100 प्रतिशत**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 156 (62.4 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि शिक्षित और आधुनिक परिवारों में तलाक की घटनाएं ज्यादा होती है। वहीं 94 (37.6 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि अशिक्षित और पारम्परिक समाजों में भी तलाक जैसी घटनाएं होती हैं।

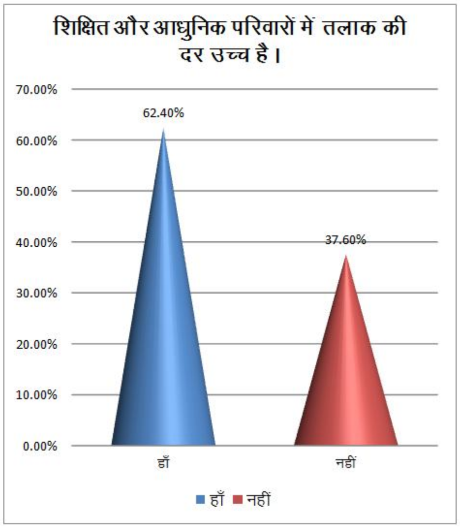

तालिका क्रमाक–8
तलाक के मामलों में वृद्धी करने वाली परिस्थितियाँ

क्र.	तलाक के मामलों में वृद्धी करने वाली परिस्थितियाँ	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	धैर्य की कमी	35	14.0 प्रतिशत
2.	अहम् भावना का तीव्र होना	47	18.8 प्रतिशत
3.	महिलाओं की आधुनिक सोच	72	28.8 प्रतिशत
4.	स्वयं के अधिकारों के प्रति सजगता	54	21.6 प्रतिशत
5.	सामाजिक मूल्यों और आस्था में परिवर्तन	42	16.8 प्रतिशत
	कुल	**250**	**100 प्रतिशत**

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 72 (28.8 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते है कि महिलाओं की आधुनिक सोच तलाक के मामलों में वृद्धी करती है, वहीं 54 (21.6 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि महिलाओं में स्वयं के अधिकारों के प्रति बढ़ती सजगता तलाक की घटनाओं को बढ़ाती है। पति–पत्नी का अहम् स्वभाव को तलाक के लिए जिम्मेदार सिर्फ 47 (18.8 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया। बढ़ते बाजारवाद और भौतिकवाद के कारण सामाजिक मूल्यों और आस्था में आये बदलाव के पक्ष में केवल 42 (16.8 प्रतिशत) उत्तरदाता ही तलाक के लिये जिम्मेदार मानते हैं।

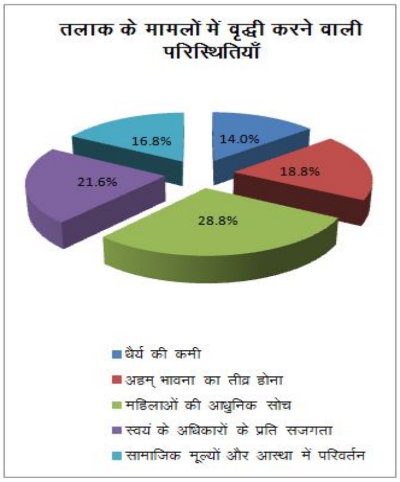

तालिका क्रमाक–9
विवाह–विच्छेदित स्त्री–पुरुष की पारिवारिक और मनोसामाजिक स्थिति होती है

क्र.	तलाकशुदा पति–पत्नी की पारिवारिक और मनोसामाजिक स्थिति	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	बच्चों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव	57	22.8 प्रतिशत
2.	स्त्रियों के पुनर्विवाह में बाधा	68	27.2 प्रतिशत
3.	स्त्री–पुरुष के सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव	80	32.0 प्रतिशत
4.	स्त्री–पुरुष का मानसिक अवसाद और कुंठा से ग्रसित होना	45	18.0 प्रतिशत
	कुल	**250**	**100 प्रतिशत**

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 80 (32. 0 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते है कि पति–पत्नी के बीच विवाह विच्छेद होने के पश्चात् दोनों का सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है, वही 68 (27.2 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि तलाक होने के बाद पुरुषों का पुनर्विवाह तो आसानी से हो जाता है, किन्तु स्त्रियों के पुनर्विवाह में ढेर सारी बाधाएं आती हैं। 57 (22.8 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि विवाह–विच्छेद हो जाने के पश्चात् बच्चों का सामाजीकरण प्रभावित होता है। 45 (18.0 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि विवाह– विच्छेद की घटनाएं पति–पत्नी को अवसादी और कुंठाग्रस्त बना देती है।

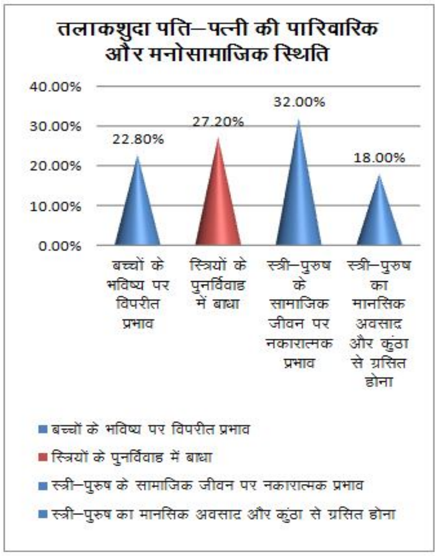

निष्कर्ष : –

अ) विवाह–विच्छेद के प्रमुख कारण : –

नगरीय समाजों में बदलती हुई सामाजिक अधोसंरचना के कारण ग्रामीण समाजों में वनिस्पत तलाक की घटनाएं बहुतायत में घटित हो रही हैं जिसका सामाजिक ताने–बाने और व्यक्ति में विपरीत प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण विवाहित जोड़े को अन्ततः अलग होना पड़ता है।

1) नगरीय समाजों में संयुक्त परिवारों का अभाव : –

नगरीय समाजों में संयुक्त परिवारों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है या फिर समाप्ति की कगार में हैं। संयुक्त परिवार के मुखिया द्वारा परिवार का सृजन किया जाता है तथा उसे बिखरने से बचाने के लिये

उसके द्वारा सार्थक प्रयास भी किये जाते हैं। महानगरीय या नगरीय समाजों में आधुनिकता और भौतिकवादिता तथा रोजगार के अवसरों की प्राप्ति के लिये युवा दम्पत्ति अपने सीमित या छोटे से परिवार के साथ शहरों में रहते हैं। ऐसे में उनके बीच जब विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है तो उस स्थिति से उन्हें बाहर निकालने वाला या विवाद को शांत करने वाला कोई भी बुजुर्ग या परिवार का वरिष्ठ सदस्य नही होता, ऐसे में दम्पत्ति के बीच अलगाव होना निश्चित हो जाता है।

2) विश्वास और सहनशीलता की कमी : –

जिन दम्पत्तियों में आपसी विश्वास की कमी और सहनशीलता का अभाव पाया जाता है वहाँ पर आपसी झगड़े और मनमुटाव ज्यादा पाया जाता है। छोटे–छोटे व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों पर आवेशित हो जाना रिश्तों में दरारें पैदा करता है।

3) पति–पत्नी के विवाहेत्तर सम्बंध : –

कई पति–पत्नी शादी के बाद भी किसी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ विवाहेत्तर सम्बंध रखते हैं। अधिकांश विवाहेत्तर सम्बंध पति या पत्नी से छिपाकर निर्मित होते हैं किन्तु जब ऐसे अवैध सम्बंध पति या पत्नी की जानकारी में आते हैं तब वैवाहिक सम्बंधों में तलाक जैसी स्थिति निर्मित होती है। नगरीय समाजों में स्त्री या पुरुष दोनों नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, जिस कारण पर पुरुष या पर स्त्री से अवैध सम्बंधों की स्थापना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

4) तथ्यों को छिपाते हुए षड़यंत्र पूर्वक शादी करना : –

अक्सर माता–पिता अपनी संतानों का विवाह तथ्यों को छिपाकर करते हैं, जिसके कारण भविष्य में वैवाहिक सम्बंधों में कड़वाहट उत्पन्न होती है। विवाह सम्बंध स्थापित करने में अक्सर माता–पिता द्वारा लड़के की रोजगार की वास्तविक स्थिति, उसकी आय, नशे की प्रवृत्ति, लड़की की झगड़ालू प्रवृत्ति, पूर्व वैवाहिक सम्बंध आदि तथ्यों को छिपाया जाता है।

5) घरेलू हिंसा : –

नगरीय परिवारों में पति–पत्नी दोनों ही नौकरीशुदा होते हैं। कार्य की व्यस्तता के चलते दोनों ही एक–दूसरे को और परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। सीमित समय और सीमित मात्रा में पति–पत्नी के बीच वार्तालाप होने के कारण सामंजस्य का आभाव होने लगता है। कार्य की व्यवस्तता के चलते पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी पति–पत्नी द्वारा समय पर पूरी नही की जाती। धीरे–धीरे उपरोक्त कारणों के चलते पति–पत्नी के बीच मनमुटाव की स्थिति निर्मित होने लगती है जो कि घरेलू हिंसा का कारण बनती है। और दाम्पत्य अलगाव को जन्म देती है।

6) महिलाओं की आधुनिक सोच : –

नगरीय परिवार की महिलाएं परम्परावादी सोच और विचारों को त्यागकर आधुनिक विचारों को अपना रही है। आधुनिक विचारों को अपनाने वाली महिलाएं परम्परावादी पारिवारिक मूल्यों के प्रति कम समर्पित रहती हैं। आधुनिक विचार रखने वाली महिलाओं की दृष्टि में शादी सात जन्मों का बंधन और संस्कार न होकर महज साथ में रहने का एक ढंग और तरीका होता है। आधुनिक विचारों वाली महिलाओं का मानना होता है कि जब दाम्पत्य जीवन कठिन और संघर्ष पूर्ण हो जाये तब ऐसे रिश्तों को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए।

7) स्वयं के अधिकारों के प्रति सजगता : –

नगरीय समाजों में अधिकांश महिलाएं शिक्षित होती हैं और वे महिलाओं को मिले कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से भली–भांति परिचित होती हैं। जब कभी ऐसी शिक्षित महिलाओं का दाम्पत्य जीवन दुखदायी और तनावपूर्ण हो जाता है, तब ऐसी महिलाएं अपने पति से विवाह–विच्छेद कर लेने में ही अपनी भलाई समझती हैं।

8) अहम् की भावना का तीव्र होना : –

नगरीय समाजों में पति–पत्नी दोनों ही शिक्षित होते हैं तथा किसी न किसी व्यवसाय और रोजगार में शामिल होते हैं। स्त्रियाँ पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करती हैं जिस कारण उनकी अपने पति में आश्रितता न के बराबर रहती है वहीं दूसरी तरफ पति का सम्मान भी प्रथाओं के अनुरूप नही कर पाती। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के कारण पुरुष और स्त्री दोनों का अहम् स्वभाव उनके दाम्पत्य जीवन में हावी हो जाता है जो कि विवाह–विच्छेद का कारण बनता है।

ब) तलाक से उत्पन्न दुष्परिणामों का मनोसामाजिक प्रभाव : –

भारतीय समाज में इस तथ्य के विश्लेषण की आवश्यकता है कि तलाक के बाद पति–पत्नी किस प्रकार स्वयं को समायोजित करते हैं, विवाह की संविदा का अंत तलाक होता है, परन्तु पति–पत्नी की दृष्टि से यह केवल पति–पत्नी की परिस्थिती में परिवर्तन है। इसमें वैयक्तिक विघटन भी होता है तथा ऐसे व्यक्ति स्वयं को अपराधी अनुभव करने लगता हैं। ऐसी दशा में उसके सामने असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तलाक के बाद पति–पत्नी की भूमिकाओं और प्रस्थिती में परिवर्तन हो जाता है। कुछ लोग तो तलाक से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं, परन्तु अन्य लोगों का जीवन इन स्थितियों में विघटित हो जाता है।

तलाक शुदा व्यक्तियों के समक्ष वैवाहिक सम्बंधों की पुनः स्थापना की भी समस्या आ जाती है। प्रायः स्त्रियों को इस समस्या से ज्यादा जुझना पड़ता है। तलाक प्राप्त व्यक्तियों को प्रायः समाज में उचित सम्मान नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को व्यक्तित्व परिवर्तन की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। तलाक से व्यक्ति के अहम् को चोट पहुँचती है। कई तलाकशुदा स्त्रियाँ कुंठा, चिंता, अवसाद, अनिद्रा आदि बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। आदतों की पूर्ती न होने पर निराशा, परेशानी व असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाता है, स्त्रियों को तलाक से आर्थिक भूमिकाओं के निर्वाह तथा आर्थिक जीवन के संचालन में अत्याधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तलाक के बाद बच्चों को परेशानियाँ ज्यादा आती हैं, उनका जीवन भी इन दोनों के बीच पिसता है। ऐसे व्यक्तियों के सामने समूह तथा समाज के वातावरण की अनेक कठिनाईयाँ सामने आती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1) अग्रवाल, सुशीला (संपा), (1988), स्टेट्स ऑफ वुमेन, प्रिंटवेल पब्लिशर्स, जयपुर।
2) बनर्जी, (1985), वूमेन वर्कर्स इन दी आर्गेनाइजेशंस सेक्टर, सेन्यान बुक्स, हैदराबाद।
3) चौरे, अजय आर., तिवारी, सुनीत, (2020), महिलाएं : स्थिति और अधिकार, माया प्रकाशन, कानपुर।
4) डॉ. मदन, जी.आर., (1993), इंडियन वूमेंस मूवमेंट : रिफार्म एण्ड रिवाइवल, रेडियंट पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
5) देवसिया वी.पी. एण्ड देवसिया लीलाम्मा, (2012), वूमेन सोशल जस्टिस एण्ड ह्यूमन एण्ड ह्यूमन राइट्स, ज्ञान गंगा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
6) कुमार, ए., (2006), आधुनिक महिलाएं एवं समाज : उत्पीड़न अत्याचार एवं अधिकार, बुक एनक्लेव, जयपुर।
7) मुखर्जी, आर.एन., (1999), सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
8) दैनिक भास्कर।
9) दि इंडियन एक्सप्रेस।
10) इंडिया टुडे।